न्यूज डायरी

नजीबाबाद में अग्रवाल महिला सभा की सम्मानित सदस्य। स्रोत : स्वयं

मेधावियों, वरिष्ठ सदस्यों को सम्मानित किया

नजीबाबाद। अग्रवाल महिला सभा की अध्यक्ष वर्षा अग्रवाल, सचिव आरती अग्रवाल ने वरिष्ठ सदस्यों अरुणा गोयल, इंदु गुप्ता, मीरा मित्तल, रश्मि अग्रवाल, शशि अग्रवाल, निशा अग्रवाल, नीलम अग्रवाल, सुरेखा मित्तल, जूही आर्य, गीता अग्रवाल, उमा गुप्ता, मंजुलता, मीना, मुक्ता, ज्योत्स्ना, सुशीला, विनोद, शीला को सम्मानित किया। सभा की वर्षा अग्रवाल, आरती अग्रवाल, कवीता तायल आदि ने समाज के मेधावियों शिवांश, देव माधव, रुद्राक्ष, हर्षित आदि को सम्मानित किया। जया अग्रवाल, कवीता तायल, स्वाति, संगीता अग्रवाल, सूची अग्रवाल, रितु, निधि, सोनल, अनुराधा ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं। संवाद

शिविर में 19 दिव्यांगता प्रमाणपत्र बने

बिजनौर। समग्र शिक्षा अभियान के तहत बीआरसी स्योहारा (विकास क्षेत्र बुढ़नपुर) में दिव्यांग बच्चों के लिए मेडिकल असेसमेंट कैंप आयोजित किया गया। बीएसए सचिन कसाना के निर्देशन में लगे कैंप में 57 बच्चों का पंजीकरण हुआ, जिनमें 19 बच्चों के दिव्यांगता प्रमाणपत्र बनाए गए। वहीं मानसिक, श्रवण एवं दृष्टि बाधित लगभग 30 बच्चों को आगे की जांच के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया। शिविर में बाल रोग विशेषज्ञ डॉ अमित कुमार, नेत्र रोग विशेषज्ञ दीपा गोयल, फिजियोथेरेपिस्ट सैयद फरहाद अली, मुजफ्फर आदि रहे। संवाद

मां-बेटे के निधन पर सांसद ने जताया दुख

शेरकोट। मोहल्ला फतेहनगर में एक ही दिन में मां-बेटे के आकस्मिक निधन के बाद बड़ी संख्या में लोग शोकाकुल परिजनों को ढांढस बंधाने पहुंचे। इस दौरान सांसद प्रतिनिधि विवेक सेन भी मृतकों के घर पहुंचकर अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त कीं। नगीना सांसद चंद्रशेखर ने भी परिजनों से फोन पर बात कर दुख प्रकट किया। मंगलवार की देर रात फतेहनगर निवासी धर्मवीर प्रजापति के 18 वर्षीय पुत्र विशाल की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई थी। जवान बेटे की असमय मौत के सदमे में मां कविता ने कुछ देर बाद दम तोड़ दिया। संवाद

अधिवक्ता की उपचार के दौरान मौत

धामपुर। अधिवक्ता विनय कुमार गुप्ता ने बताया कि धामपुर निवासी 35 वर्षीय अधिवक्ता गौरव शर्मा का मुरादाबाद के एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान निधन हो गया। उनकी किडनी में पथरी हो गई थी। उनका उपचार मुरादाबाद के एक निजी अस्पताल में चल रहा था। उपचार के दौरान गौरव शर्मा की अस्पताल में मौत हो गई। बृहस्पतिवार को अधिवक्ताओं ने श्रद्धांजलि सभा में दो मिनट का मौन धारण रखकर ईश्वर से प्रार्थना की। इस मौके पर अधिवक्ता परमेंद्र सिंह, राजपाल सिंह, उमाशंकर, जावेद उमर आदि शामिल रहे। संवाद

17 गवाह पेश, 13 वर्ष चला मामला

दोषी पाए गए महताब राजस्थान की जयपुर जेल और सादर खां अजमेर जेल में हैं बंद

संवाद न्यूज एजेंसी

सहारनपुर। बागपत के ग्राम ढिकौली निवासी राहुल ढाका की हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-10 संजय कुमार की अदालत में विचाराधीन इस मुकदमे में 17 गवाहों को पेश किया गया। इस मामले में 13 वर्ष तक तारीखों पर पेशी के साथ ही अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते रहे।

मुकदमे में 27 नवंबर 2013 को आरोप पत्र पर संज्ञान लिया गया था। सुनवाई के दौरान अन्य साक्ष्य भी अदालत में पेश किए गए। अदालत ने पत्रावलियों पर आए साक्ष्यों और गवाहों को सुनने के बाद दोषियों को सजा सुनाई है। अर्थदंड का आधा हिस्सा राहुल ढाका के परिवार को दिया जाएगा।

दोषी महताब उर्फ काना उर्फ जीवा शामली के कलाव गांव और सादर खां सहारनपुर के तीतरों का रहने वाला है। फिलहाल महताब अन्य मामले में राजस्थान की जयपुर जेल और सादर खां अजमेर जेल में बंद है। फैसले के दौरान दोनों वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश हुए। एडीजीसी शिव सिंह ने बताया कि घटना को पुष्ट करने और दोषियों को सजा दिलाने के लिए 17 गवाहों ने अदालत में गवाही दी।

■ भीड़ का फायदा उठाकर भाग गए थे बदमाश : राहुल ढाका को गोली मारने के बाद वहां भगदड़ मच गई थी। इसी दौरान बदमाश अपनी कार से उतरे और वहां से गुजर रहे प्रमोद कुमार निवासी मोहम्मदपुर माफी और अरुण निवासी नवीन नगर की बाइक छीन ली थी। चारों बदमाश उन दो बाइकों पर बैठकर फरार हुए थे। इस मामले में भी दोनों पीड़ितों की तरफ से केस दर्ज कराया गया था।

राहुल ढाका की फाइल फोटो

आरोपी

महताब उर्फ काना

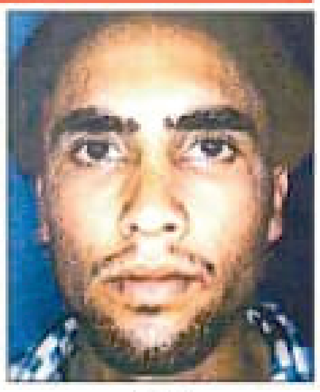

सादर

अदालत से

2013 में मुठभेड़ के दौरान सीओ के गनर राहुल ढाका की गोली मारकर की गई थी हत्या

बागपत के ढिकौली गांव के रहने वाले हैं राहुल ढाका, वीसी से हुई दोनों दोषियों की पेशी

हत्या और लूट के दो मुकदमों में हुई सजा

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मुकीम काला गैंग के सदस्य महताब उर्फ काना उर्फ जीवा और सादर को आईपीसी की धारा 302, 307, 7 क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट और लूट के दो अन्य मुकदमों में सजा सुनाई है। लूट के मामले में आठ वर्ष की सजा हुई है। दोनों दोषियों को हुई सजा के अभिपत्र जयपुर और अजमेर जेल भेजे गए हैं।

मुकीम काला की 2021 में हो चुकी है मौत

मुकीम काला पर सहारनपुर के अलग-अलग थानों में 29 से अधिक मामले दर्ज थे। मुकीम ने फरवरी 2015 में महानगर की व्यस्त सड़क दिल्ली रोड स्थित तनिष्क ज्वेलर्स पर भी पुलिस की वर्दी में डकैती डाली थी। मुकीम की मौत 2021 में चित्रकूट जेल में हुई आपसी गैंगवार में हो गई थी। उसके अन्य साथी या तो जेल में हैं या फिर ढेर हो चुके हैं। राहुल ढाका की हत्या का आरोपी और गैंग का शार्प शूटर साबिर जोधड़ी जनवरी 2018 में शामली के जोधड़ी गांव में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था।

न्याय व्यवस्था पर था विश्वास : अनिल ढाका

सिपाही राहुल ढाका के तहेरे भाई अनिल ढाका दिल्ली पुलिस में एसआई के पद पर तैनात हैं। उन्होंने बताया कि राहुल 2011 में पास आउट हुए थे। 2013 में यह वारदात हो गई थी। उनके पिता चंद्रपाल ढाका का 10 मार्च 2019 में निधन हो गया था। परिवार में मां, दो भाई और एक बहन को लंबे समय से न्याय का इंतजार था। अनिल ढाका ने बताया कि यह पुलिस से जुड़ा मामला था।

ऐसे में निजी अधिवक्ता नहीं किया था। सरकारी अधिवक्ता ही पैरवी कर रहे थे। शाम के समय मीडियाकर्मियों के फोन आने पर पता चला कि अदालत ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

यह सुनकर आंखें नम हो गईं। पूरे परिवार को न्याय व्यवस्था पर विश्वास था। न्याय की जीत हुई है।

आदमखोर तेंदुए को पकड़ने उतरी छह जिलों की टीम, थर्मल ड्रोन भी मंगाए

मुरादाबाद। ठाकुरद्वारा के लालपुर पीपलसाना में महिला को मौत के घाट उतारने वाले आदमखोर तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग ने बड़ा अभियान छेड़ दिया है। छह जिलों की करीब 35 सदस्यीय टीम, थर्मल ड्रोन, ट्रैंक्यूलाइजिंग विशेषज्ञ, पांच पिंजरे और गन्ने के खेतों में लगातार कॉम्बिंग... सब कुछ दांव पर लगा है, लेकिन शिकारी तेंदुआ अब भी वन विभाग को चकमा दे रहा है।

मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बिजनौर, पीलीभीत और आगरा की संयुक्त टीम तीसरे दिन भी गन्ने के खेतों में घंटों खाक छानती रही। बृहस्पतिवार को रामपुर और संभल के वनकर्मी भी अभियान में शामिल हो गए, जबकि आगरा से पहुंचे वाइल्ड लाइफ विशेषज्ञ और ट्रैंक्यूलाइजिंग टीम को हर समय अलर्ट रखा गया है, ताकि तेंदुआ सामने आते ही उसे बेहोश कर पकड़ा जा सके। रेस्क्यू अभियान की सबसे बड़ी ताकत इस बार थर्मल ड्रोन माने जा रहे हैं। इन्हें विशेष रूप से पीलीभीत टाइगर रिजर्व से मंगाया गया है। सामान्य कैमरे केवल सामने दिख रही तस्वीर रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन थर्मल ड्रोन शरीर से निकलने वाली गर्मी को पहचानते हैं। ब्यूरो

ओपीडी

पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिला संयुक्त चिकित्सालय/मेडिकल कॉलेज में ओपीडी

ओपीडी का समय सुबह आठ से दोपहर 2:00 बजे तक

मानसिक रोग विभाग- कक्ष नंबर 06
- डॉ. मितिन कुमार

बाल रोग विभाग- कक्ष नंबर 127
- डॉ. सुनील मलिक
- डॉ. अर्पित

हड्डी रोग विभाग- कक्ष नंबर 130
- डॉ. संजय कुमार

मेडिसिन विभाग- कक्ष नंबर 125
- डॉ. मनोज कुमार
- डॉ. सौभाग्य
- डॉ. रोहित कुमार

नेत्र रोग विभाग- कक्ष नंबर 10
- डॉ. अनुज कुमार

सर्जरी विभाग- कक्ष नंबर 120
- डॉ. जगपाल
- डॉ. ध्रुव चिकारा

त्वचा रोग विभाग- कक्ष नंबर 122
- डॉ. नेहा अफजाल

टीबी रोग विभाग- कक्ष नंबर 25
- डॉ. तुषार सिंह
- डॉ. अभिषेक चौधरी

महात्मा विदुर स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय का हेल्पलाइन नंबर 7668353944 है।

हैप्पी बर्थडे

माहिरा पुत्री विकास कुमार, उम्र छह साल, चांदपुर

अगर आपके परिवार में भी किसी 10 वर्ष तक के बच्चे का जन्मदिन है तो उसकी फोटो, उम्र, नाम, पिता का नाम और पता लिखकर 9368724184 व्हाट्सएप नंबर पर एक दिन पहले शाम चार बजे तक भेज सकते हैं।

हज आजमीनों को चेयरमैन ने सौंपे कागजात

नजीबाबाद। हज फार्म भरने के निशुल्क कैंप में पंजीकरण कराने वाले हज आजमीनों को उनके चालान और जरूरी कागजात सौंपे। चेयरमैन इंजीनियर मौअज्जम के नेतृत्व में करीब ढाई दशक से हज आजमीनों के निशुल्क फॉर्म भरने, उन्हें हज के अरकान का प्रशिक्षण और निशुल्क टीकाकरण सुविधा उपलब्ध कराने का मिशन चलाया जा रहा है। वर्ष 2027 में हज को जाने वाले हज आजमीनों के 29 जून से 20 जुलाई तक निशुल्क फॉर्म भरे गए। इंजीनियर मौअज्जम ने संबंधित हज आजमीनों को हज से संबंधित चालान और जरूरी कागजात दिए। इस मौके पर रोशन जमीर, मो. नसीम, अनवर, साजिद, मो. आफताब, जाकिर हुसैन, असीम अब्बास, मुख्तार, यामीन, शाहनवाज, रिहान, शमीम अहमद, यूसुफ, शरीफ आदि मौजूद रहे। संवाद

समाज में सद्‌बुद्धि की कामना के लिए यज्ञ

धामपुर। विश्व हिंदू परिषद की ओर से बड़ी मंडी स्थित राजकीयों की धर्मशाला में आयोजित यज्ञ में कार्यकर्ताओं ने आहुतियां देकर सनातन धर्म सम्मान और समाज में सद्‌बुद्धि की कामना की। जिलाध्यक्ष सौरभ मालवानी ने कहा कि सनातन धर्म विश्व को शांति, करुणा और मानवता का संदेश देता है। उन्होंने संसद भवन परिसर में सांसद रामू यादव द्वारा सनातन विरोधी चोला धारण करने की कड़े शब्दों में निंदा की। कार्यक्रम का संचालन नगर मंत्री आर्यन दीक्षित ने किया। इस अवसर पर नगराध्यक्ष अजय अग्रवाल, बिट्टू, जिला विद्यार्थी प्रमुख अतुल सैनी, अनुराग कश्यप, अनुज शर्मा आदि रहे। संवाद

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक! | punjab national bank ...the name you can BANK upon!

नीलामी सूचना E-Auction के द्वारा

मण्डल कार्यालयः बंसत विहार कॉलोनी निकट तहसील कार्यालय, बैराज रोड, बिजनौर (उ0प्र0)- 246701, ईमेल- cobznsam@pnb.bank.in

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) [नियम 8(6)/9(1)]/[नियम 6(2)] के अधिनियम, 2002 के तहत ई–नीलामी विक्रय हेतु सार्वजनिक सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के [नियम 8 (6)/9(1)]/[नियम 6(2)] के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल/चल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस।

आम लोगों का तथा विशेष रूप से ऋणी (ओं)/गारन्टर (ओं) उधार लेने वाले और प्रत्याभूति–दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूति लेनदार के पास दृष्टिबंधक/बंधक/प्रभारित है का **सांकेतिक (विवरण नीचे उल्लिखित) कब्जा** प्रतिभूति लेनदार के **प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक** द्वारा लिया गया है, को **"जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है"** के आधार पर **पंजाब नैशनल बैंक नीचे उल्लिखित ऋणी**/ गारन्टरों की बकाया राशि की वसूली हेतु नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित तिथियों को बेची जायेगी। प्रत्येक संपत्ति का रिजर्व मूल्य एवं अर्नेस्ट मनी विवरण नीचे उल्लिखित है, तथा संपत्तियों का ज्ञात प्रभार का संक्षिप्त विवरण, यदि कोई हो, के रूप में नीचे उल्लेख किया गया है। बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया सुरक्षित क्रेडिटर्स वेबसाइट में दिए गए लिंक को देखें **BAANKNET.COM**

क्र0 सं0	शाखा/ऋणी/गारन्टर का नाम व पता	अचल सम्पत्ति का विवरण बंधक/मालिक का नाम (संपत्ति के बंधक)	ए) सरफेसी एक्ट 2002 की धारा 13(2) के तहत डिमांड नोटिस की तारीख बी) सरफेसी एक्ट 2002 की धारा 13(2) के तहत डिमांड नोटिस के अनुसार बकाया रकम सी) 31.07.2026 तक मौजूदा बकाया रकम डी) सरफेसी एक्ट 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जे की तारीख ई) कब्जे का प्रकार सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक कब्जा	(ए) रिर्जव मूल्य (लाख में) (बी) ईएमडी (सी) बोली वृद्धि राशि	ई–नीलामी की तिथि/समय	बैंक को ज्ञात लेनदारों के प्रभार का विवरण
1	**शाखाः नजीबाबाद चौक** **ऋणी/बंधककर्ताः** श्रीमती रेशमा परवीन पत्नी श्री रईस अहमद, सह-ऋणीः श्री रईस अहमद पुत्र श्री अनीस अहमद, **गारन्टर :** 1. श्री चन्द्र प्रकाश पुत्र श्री मांगू सिंह, 2. श्री ऐजाज गौहर खान, जोहर पुत्र श्री अब्दुल गफ्फार खान गौहर।	बंधक आवासीय मकान, स्थित मौहल्ला- वाहिद नगर, नजीबाबाद, जिला- बिजनौर (उ0प्र0), सम्पत्ति स्वामी श्रीमती रेशमा परवीन पत्नी रईस अहमद, कुल माप क्षेत्रफल 88.30 वर्ग मीटर, बही नं0 1, जिल्द नं0 4591, दस्तावेज नं0 5914, पेज नं0 255-272, दिनांक 28.05.2010, सब-रजिस्ट्रार ऑफिस नजीबाबाद, जिला- बिजनौर (उ0प्र0)। सीमाएँः- पूर्वः ग्राम समाज का तालाब, पश्चिमः अनिर्मित 12.6 फीट चौड़ा रास्ता, उत्तरः अजमल खान की अराजी, दक्षिणः विक्रेता साजिदा खातून की अराजी का शेष भाग।	(ए) 12.06.2024 (बी) रू0 16,16,489.48 + ब्याज और अन्य खर्चे दिनांक 31.05.2024 (सी) रू0 20,32,599.48 + प्रभावी ब्याज दिनांक 01.07.2025 (डी) 29.08.2024 (ई) सांकेतिक कब्जा	रू0 25,42,000/- रू0 2,54,200/- रू0 20,000/-	24.08.2026 सुबह 11.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक	ज्ञात नहीं
2	**शाखाः नजीबाबाद कोटद्वारा रोड** श्रीमती दीपमाला पत्नी श्री दिनेश शर्मा **(ऋणी/बंधककर्ता)**, श्री दिनेश शर्मा पुत्र श्री राजपाल सिंह **(सह-ऋणी)**, श्रीमती मधु शर्मा पत्नी श्री सुनील दत्त शर्मा **(गारन्टर)**, श्रीमती विमल गुप्ता पत्नी श्री नरेश चन्द गुप्ता **(गारन्टर)**।	बंधक आवासीय मकान स्थित आदर्श नगर, बी-ब्लॉक, मौजा- तातरपुर लालू, परगना एवं तहसील-नजीबाबाद, जिला-बिजनौर (उ0प्र0), कुल माप क्षेत्रफल 48.04 वर्ग मीटर, सम्पत्ति स्वामी श्रीमती दीपमाला पत्नी श्री दिनेश शर्मा, बही नं0 1, जिल्द नं0 8229, पेज नं0 337-380, क्र0सं0 5207, दिंक 05.06.2017 पर पंजीकृत है। विक्रय विलेख के अनुसार सीमाएँः- पूर्वः रोहताश का मकान, पश्चिमः मोहन लाल का मकान, उत्तरः 8 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिणः विमल गुप्ता का मकान।	(ए) 25.11.2024 (बी) रू0 13,54,187.95 + ब्याज और अन्य खर्चे दिनांक 31.10.2024 (सी) रू0 15,81,216.95 + प्रभावी ब्याज दिनांक 01.07.2025 (डी) 28.01.2025 (ई) सांकेतिक कब्जा	रू0 11,05,000/- रू0 1,10,500/- रू0 10,000/-	24.08.2026 सुबह 11.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक	ज्ञात नहीं
3	**शाखाः नजीबाबाद कोटद्वार रोड, बिजनौर** श्री दिनेश कुमार पुत्र स्व0 श्री बिशम्बर सिंह **(ऋणी/बंधककर्ता)**, श्री महफूज़ खान पुत्र श्री छुट्टन **(गारन्टर)**।	बंधक सम्पत्ति स्वामी श्री दिनेश कुमार पुत्र स्व0 श्री बिशम्भर सिंह, स्थित मौहल्ला- जब्तागंज, नजीबाबाद, जिला- बिजनौर (उ0प्र0)। कुल माप क्षेत्रफल 128.25 वर्ग मीटर, बही नं0 1, जिल्द नं0 7223, पेज नं0 17-36, क्र0सं0 8741, दिनांक 08.06.2015 को सब-रजिस्ट्रार ऑफिस नजीबाबाद पर पंजीकृत है। सीमाएँः- पूर्वः विक्रेता का प्लॉट (अर्थात् मौहम्मद आसिफ), पश्चिमः 18 फीट चौड़ा रास्ता, उत्तरः 16 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिणः श्रीमती मीनू का प्लॉट।	(ए) 07.03.2019 (बी) रू0 16,68,936.00 + ब्याज और अन्य खर्चे दिनांक 19.04.2018 (सी) रू0 33,27,860.00 + प्रभावी ब्याज दिनांक 01.07.2025 (डी) 18.10.2019 (ई) सांकेतिक कब्जा	रू0 12,33,000/- रू0 1,23,300/- रू0 10,000/-	24.08.2026 सुबह 11.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक	ज्ञात नहीं
4	**शाखाः बुंदकी, बिजनौर** श्रीमती रेखा छावर पत्नी श्री भारत छावर **(ऋणी/बंधककर्ता)**, श्री भार्गव छावर पुत्र श्री भारत छावर **(सह-ऋणी)**।	बंधक आवासीय सम्पत्ति स्थित मौहल्ला- गुलिस्तान, कस्बा जलालाबाद, परगना एवं तहसील- नजीबाबाद, जिला- बिजनौर (उ0प्र0) (सम्पत्ति स्वामी श्रीमती रेखा छावर पत्नी श्री भारत छावर), कुल माप क्षेत्रफल 40.61 वर्ग मीटर, बही नं0 1, जिल्द नं0 10375, पेज नं0 1 से 14, क्र0सं0 907, दिनांक 19.01.2021, सब-रजिस्ट्रार ऑफिस नजीबाबाद, जिला- बिजनौर (उ0प्र0) पर पंजीकृत है। सीमाएँः- पूर्वः डेविड का मकान, पश्चिमः 6 फीट 8 इंच चौड़ा रास्ता, उत्तरः श्री मोहन का मकान, दक्षिणः विक्रेता (श्री भारत) का मकान।	(ए) 16.06.2025 (बी) रू0 10,44,829.66 + ब्याज और अन्य खर्चे दिनांक 31.05.2025 (सी) रू0 11,52,343.66 + प्रभावी ब्याज दिनांक 01.07.2025 (डी) 20.08.2025 (ई) सांकेतिक कब्जा	रू0 5,95,000/- रू0 59,500/- रू0 10,000/-	24.08.2026 सुबह 11.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक	ज्ञात नहीं
5	**शाखाः कोतवाली, बिजनौर** श्री रोहित छावर पुत्र श्री भारत छावर **(ऋणी/बंधककर्ता)**, श्रीमती गुड्डी देवी पत्नी श्री बब्बन **(गारन्टर)**।	बंधक चल आवासीय सम्पत्ति स्थित मौहल्ला गुलिस्तान, कस्बा जलालाबाद, परगना और तहसील नजीबाबाद जिला बिजनौर (उ.प्र.) (सम्पत्ति स्वामी श्री रोहित छावर पुत्र श्री भारत छावर) कुल माप 37.49 वर्गमीटर रिकॉर्ड बही नं. 01, जिल्द नं. 10837, पेज नं. 353 से 366, क्रमांक नं. 2175, दिनांक 11.02.2022 सब रजिस्ट्रार ऑफिस नजीबाबाद (उ.प्र.) पर पंजीकृत है। विक्रय विलेख के अनुसार सीमाएँः- पूर्व- हरी का मकान, पश्चिम- भारत छावर का मकान, उत्तर- डेविड का मकान, दक्षिण- 7 फीट चौड़ा रास्ता।	(ए) 21.02.2025 (बी) रू0 10,36,072.11 + ब्याज और अन्य खर्चे दिनांक 31.01.2025 (सी) रू0 11,80,187.36 + प्रभावी ब्याज दिनांक 01.07.2025 (डी) 21.05.2025 (ई) सांकेतिक कब्जा	रू0 6,17,000/- रू0 61,700/- रू0 10,000/-	24.08.2026 सुबह 11.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक	ज्ञात नहीं
6	**शाखा नजीबाबाद चौक, बिजनौर** **ऋणी एवं बंधककर्ताः** मोहम्मद अकरम पुत्र श्री भूरे **(ऋणी/बंधककर्ता)**, श्री दीपक सिंघल पुत्र श्री उमेश चन्द्र सिंघल **(गारन्टर)**।	सम्पत्ति स्थित मौहल्ला जबतगंज, नजीबाबाद, बिजनौर (यूपी), सम्पत्ति स्वामी मोहम्मद अकरम पुत्र श्री भूरे। कुल क्षेत्रफल 95.98 वर्ग मीटर, पंजीकृत बही नं0 1, जिल्द नं0 5862, पेज नं0 101-118, क्र0सं0 14933, दिनांक 14.12.12, सब रजिस्ट्रार कार्यालय नजीबाबाद। सीमाऐंः पूर्वः 12 फीट चौड़ा रोड, पश्चिमः सुरेश एवं राजेश की अराजी, उत्तरः सुल्तान बेग की अराजी, दक्षिणः सुल्तान सैफी की अराजी।	(ए) 16.08.2018 (बी) रू0 12,20,207.00 + ब्याज और अन्य खर्चे दिनांक 31.07.2018 (सी) रू0 20,68,834/- + प्रभावी ब्याज दिनांक 01.07.2025 (डी) 31.05.2019 (ई) सांकेतिक कब्जा	रू0 10,26,778/- रू0 1,02,678/- रू0 10,000/-	24.08.2026 सुबह 11.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक	ज्ञात नहीं

सम्पत्ति बिक्रि, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अर्न्तगत लागू नियमों के अधीन व निम्नलिखित नियमों व शर्तों के अनुसार होगी।

1. नीलामी बिक्री ''ई–नीलामी के माध्यम से ऑनलाइन'' पोर्टल **https://baanknet.com/** होगी। 2. इच्छुक बोलीदाताओं/क्रेताओं से अनुरोध है कि वे अपने मोबाइल नंबर और ईमेल–आईडी का उपयोग करके पोर्टल **(https://baanknet.com/)** पर पंजीकरण करें। इसके अलावा, उनसे अपेक्षित केवाईसी दस्तावेज अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है। एक बार केवाईसी दस्तावेजों को ई-नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा सत्यापित किया जाता है (जिसमे 5 कार्य दिवस लग सकते हैं), इच्छुक बोलीदाता / क्रेता को ई-नीलामी से पहले तक अपने ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में ऑनलाइन मोड का उपयोग करके ईएमडी राशि को स्थानांतरित करना होगा। पोर्टल में समय नीलामी से पहले, केवाईसी दस्तावेजों का पंजीकरण और वॉलेट में ईएमडी के हस्तांतरण को पहले से अच्छी तरह से पूरा किया जाना चाहिए। 3. उपर्युक्त धनराशि जमा (ईएमडी) राशि का भुगतान ऑनलाइन भुगतान 3 मोड अर्थात एनईएफटी/कैश /ट्रांसफर (से चालान जनरेट करने के पश्चात) **(https://baanknet.com/)** के माध्यम से किया जाएगा। किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से किया जाता है, हालांकि कैश / ट्रांसफर के लिए बोली लगाने वाले को पंजाब नेशनल बैंक शाखा का दौरा करना पड़ता है। चेक जैसे किसी अन्य मोड द्वारा ईएमडी का भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा। बोलीदाताओं, जिन्होंने ईएमडी की राशि जमा नहीं कराई होगी को उन्हे ऑनलाइन ई–नीलामी में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ई–नीलामी में भाग लेने के लिए जमा की गई ईएमडी की राशि पर कोई देय ब्याज नहीं दिया जाएगा। 4. ई–नीलामी के लिए प्लेटफॉर्म **(https://baanknet.com/)** ई–नीलामी सेवा प्रदाता **M/S PSB Alliance Private Limited द्वारा प्रदान किया जाएगा, जिसका पंजीकृत कार्यालय यूनिट–1, तृतीय तल, वीआईओएस कमर्शियल टॉवर, वडाला टर्मिनल के पास, वडाला ईस्ट मुंबई–400037 (संपर्क टोलफ्री नंबर +91 8291220220, ई–मेलः– psba@psballiance.com)** इच्छुक बोलीदाताओं / क्रेताओं को ई–नीलामी की प्रक्रिया में ई–नीलामी के सेवा प्रदाता की वेबसाइट **https://baanknet.com/** के माध्यम से ई–नीलामी में भाग लेना होगा । 5. यहाँ अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों के विवरण को प्राधिंत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के लिए कहा गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस घोषणा में किसी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। 6. नीलामी के आगे के नियमों और विनियमों के लिए या तो इन वेबसाइटों पर जाएं या नोडल अधिकारी **श्री जितेन्द्र कुमार झा, मो0 नं0 9634200162** से **पंजाब नेशनल बैंक, मण्डल कार्यालयः रिकवरी सेन्टर, निकट तहसील कार्यालय, बैराज रोड, बिजनौर (उ0प्र0)– 246701** मे संपर्क करें। बैंक बिना किसी कारण के नीलामी प्रक्रिया को रद्द / निलंबित करने का अधिकार रखता है। 7. सफल बोलकर्ता को दिये गये खाते में या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा तत्काल नीलामी राशि की 25 प्रतिशत राशि जमा करानी होगी तत्काल या अगले दिन सुबह जमा करानी होगी (जिसमें पूर्व में जमा किया गया ईएमडी को समायोजित कर दिया जायेगा) बयाना राशि को नीलामी की राशि में बाद में समायोजित कर दिया जायेगा। 8. नीलामी की स्वीति के 15 दिनों के भीतर बोली लगाने वाले को 75 प्रतिशत राशि का भुगतान करना होगा। यदि वह शेष 75 प्रतिशत राशि का भुगतान दिये गये समय में नहीं कर पाता तो जमा की गयी राशि जब्त कर ली जायेगी और अनुपस्थित/दोषी व्यक्ति के सम्पत्ति सम्बन्धी सभी दावे या उससे सम्बन्धित दावे जिनकी बोली लगाई जानी है, वह भी खत्म हो जायेंगे। यदि नीलामी वाले दिन को अवकाश घोषित है, तो नीलामी अगले दिन आयोजित की जाएगी। 9. **प्लांट और मशीनरी पर जीएसटी/टीसीएस एवं अन्य कर क्रेता द्वारा वहन किया जायेगा।** 10. सफल बोलीकर्ता को रिजर्व मूल्य के एक क्रम ऊपर (बोली वृद्धि राशि) बोली लगाना अनिवार्य है। 11. यह इच्छुक बोलीदाताओं की जिम्मेदारी है कि वे बिक्री नोटिस, ई-नीलामी के नियम और शर्तें, ई-नीलामी के परिचालन भाग पर सहायता मैनुअल को ठीक से पढ़ें और उनका सख्ती से पालन करें। 12. प्राधिकृत अधिकारियों की सर्वोत्तम जानकारी और जानकारी के अनुसार, संपत्तियों पर कोई बाधा नहीं है। हालांकि, इच्छुक बोलीदातओं, को अपनी बोली जमा करने से पहले नीलामी में रखी गई संपत्ति के भार, शशीर्षक, संपत्ति के भौतिक क्षेत्र और संपत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/बकाया/संपत्ति को प्रभावित करने के संबंध में अपनी स्वतंत्र पूछताछ करनी चाहिए। बोली लगाने से पहले किसी भी वैधानिक देनदारियों, कर के बकाया, दावों आदि के बारे में पूछताछ करना। ई-नीलामी विज्ञापन बैंक की ओर से किसी भी प्रतिनिधित्व की प्रतिबद्धता का गठन नहीं करता है और न ही इसे माना जाएगा। संपत्ति सभी मौजूदा और भविष्य की बाधाओं के साथ बेची जा रही है, चाहे बैंक को ज्ञात हो या ना हो। प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित ऋणदाता किसी भी दावे/अधिकार/बकाया राशि के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। 13. बैंक बिक्री के लिए प्रस्तावित संपत्ति के संबंध में या बकाया जल/सेवा शुल्क, स्थानांतरण शुल्क, बिजली बकाया, नगर निगम/स्थान का बकाया जैसे किसी भी अनुमति/लाइसेंस, एनओसी आदि प्राप्त करने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। प्राधिकरण/सहकारी हाउसिंग सोसाइटी या उक्त संपत्ति की बिक्री के संबंध में और/या कोई अन्य बकाया, कर, लेवी शुल्क, हस्तांतरण शुल्क यदि कोई हो। सफल बोलीदाता को संपत्ति की खरीद के संबंध में आयकर के प्रावधानों का पालन करना होगा और लागू दरों के अनुसार अधिकारियों को कर का भुगतान करना होगा। 14. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है/सावधान किया जाता है कि वे अपनी बोलियाँ प्रस्तुत करने से पहले संबंधित राजस्व रिकॉर्ड/अन्य वैधानिक प्राधिकारियों जैसे बिक्री कर/उत्पाद शुल्क/आयकर आदि को सत्यापित करें और संपत्ति की प्रकृति, विवरण, शर्तों, बाधा, लाइन, शुल्क, वैधानिक बकाया आदि के बारे में खुद को संतुष्ट करें। 15. बिक्री प्रमाणपत्र जारी करने के खिलाफ डीआरटी/डीआरएटी/उच्च न्यायालय या किसी अन्य अदालत द्वारा पारित किसी भी स्थिगत/निषेध/निरोधक आदेश के लंबित रहने तक बिक्री प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जमा की गई राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। 16. बिक्री पर रोक/रद्दीकरण' ओआरटी/डीआरएटी/उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा आगे की कार्यवाही पर रोक के मामले में, नीलामी को या तो स्थगित किया जा सकता है या रद्द किया जा सकता है, बिक्री में भाग लेने वाले किसी भी व्यक्ति को नुकसान, मुआवजे का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा। 17. बैंक के पास बिना किसी पूर्व सूचना और कोई कारण बताए किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या बिक्री को स्थगित/स्थगित करने/रद्द करने/बिक्री के किसी भी नियम और शर्तों को संशोधित करने का पूर्ण अधिकार और विवेक है। 18. ऋणियों/गारंटी दाताओं को सूचना दी जाती है कि डिमांड नोटिस के अनुसार समस्त राशि (ब्याज एवं अन्य खर्चो सहित) नीलामी की तारीख से पहले जमा कर दें। ऐसा न करने पर सम्पत्ति की नीलामी की दी जायेगी और बची हुई राशि, यदि कोई है, ब्याज एवं खर्चा सहित वसूल की जायेगी। नोटः अधिक जानकारी के लिए इन मोबाइल नम्बरों पर सम्पर्क करें- **9634200162.** 19. किसी भी बोली वृद्धि को भूमि और भवन तथा संयंत्र और मशीनरी दोनों पर आनुपातिक रूप से बढ़ा हुआ माना जाएगा।

दिनांकः 06.08.2026 | स्थान – बिजनौर | प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूति लेनदार